न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. गोवरधनराम पुत्र श्री गोविन्दराम जाति जाट, निवासी मघेवाली ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम-

1. मोतीराम पुत्र श्री गोविन्दराम जाति जाट निवासी मघेवाली ढाणी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....अप्रार्थी.....

उपस्थिति - 1. श्री अवतार सिंह बराड़, नवीन मिढ्ढा वकील प्रार्थी
2. श्री ओम धायल वकील अप्रार्थी
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 13/2019 निर्णय दिनांक - 06.08.19

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी, अप्रार्थी व उसके भाई आशूराम, रामेश्वरलाल के पिता गोविन्दराम पुत्र श्री किशनाराम जाति जाट निवासी मघेवाली ढाणी तहसील श्री विजयनगर के नाम से वाके चक 1 एम.एस.डी. के मुरब्बा नं. 137/349 व 133/348 में कुल 49-10 बीघा भूमि आराजी काश्त पर थी। गोविन्दराम को अपने जीवन काल में उपरोक्त भूमि को पुख्ता आवंटन करवाने का अधिकार था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी भूमि उनके विधिक उतराधिकारियों पर बहिस्सा बराबर मिलनी थी। नियमानुसार एक आदमी को एक मुरब्बा से अधिक भूमि पुख्ता आवंटन नहीं हो सकती थी। इसलिए गोविन्दराम के नाम से उनकी काश्त में से मुरब्बा नं. 133/348 की भूमि पुख्ता आवंटित हो गई, और मुरब्बा नं. 137/349 के 24-10 बीघा भूमि ज्यादा होने के कारण आवंटित नहीं हुई। तत्कालीन विधि के अनुसार काश्तकार की आरजी काश्त मे से पुख्ता आवंटित भूमि को छोड़ कर शेष भूमि उस काश्तकार के बालिग पुत्र अपने नाम से आवंटित करवाने के विधिक अधिकारी होते है बशर्ते उनके पास आवंटन की सीमा से अधिक भूमि ना हो। प्रार्थी एवं अप्रार्थी व उसकें भाई आशूराम, रामेश्वर लाल गोविन्दराम के पुत्र है। तथा गोविन्दराम के नाम की आराजी भूमि में से गोविन्दराम की पुख्ता आवंटित होने वाली भूमि को वे समान रूप से बालिग पुत्र की हैसियत से आवंटन करवाने के अधिकारी थे, इस प्रकार गोविन्दराम की आरजी काश्त की भूमि वाके चक 1 एम.एस.डी. के

लगातार.....2

(R.A.S.)
अधिकारी
जयनगर

Scanned by CamScanner

मुरब्बा नं. 137/349 के 24-10 बीघा भूमि समान भाग में अपने नाम से बतौर बालिग पुत्र आवंटन करवाने के अधिकारी थे तथा उनका यह विधिक अधिकार भी था। प्रार्थी के भाई आशूराम, रामेश्वर लाल सरकारी नौकरी में थे परन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थी व उसके भाई आशूराम, रामेश्वर लाल संयुक्त परिवार धारण करते थे, और सभी एक दुसरे को समान समझते थे तथा अपने पिता की भूमि में से वे सभी को बराबर हिस्सा देना चाहते थे इसलिए सभी ने एक राय होकर अपने पिता गोविन्दराम के नाम से आरजी काश्त पर चल रही हमारी विरासतन भूमि मुरब्बा नं. 137/349 के 24-10 को अपने नाम से आवंटित करवाने की योजना बनाई और तय पाया कि उपरोक्त भूमि बतौर बालिग पुत्र आवंटित करवा लेंगे। परन्तु प्रार्थी के भाई आशूराम व रामेश्वर लाल सरकारी नौकरी में होने के कारण यह तय पाया कि एक आदमी के नाम ही भूमि बतौर बालिग पुत्र आवंटित करवा ले बाद में आपस में बांट लेंगे। इस प्रकार पक्षकारों की आपसी सहमति से हमारे द्वारा वकील से सलाह करेंगे तहसील श्री विजयनगर के चक 1 एम.एस.डी. के मु.नं. 137/349 को अप्रार्थी के नाम बतौर बालिग पुत्र आवंटित करवाने का फैसला की परन्तु अप्रार्थी को उसके पिता की भूमि में से हिस्सा आ रहा था इसलिए मुरब्बा नं.137/349 के 20 बीघा भूमि अप्रार्थी के नाम बालिग पुत्र के रूप में आवंटन करवाने का निर्णय लिया, शेष भूमि को स्माल पेच में आवंटन करवाने का तैय पाया, और बड़ा भाई होने के नाते प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के नाम की फाईले बालिग पुत्र में आवंटन हेतु प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश कर दी। बड़ा पुत्र होने के नाते प्रार्थी भी बालिग पुत्र के रूप में गोविन्दराम के भूमि को बतौर बालिग पुत्र अपने नाम आंवटित करवाने का अधिकारी है। परन्तु आपसी सहमति से हमारे अपने भाई अप्रार्थी मोतीराम के नाम से भूमि आवंटित करवा ली, जिसमें प्रार्थी एवं उसके भाई आशूराम व रामेश्वर लाल का विधिक हक बनता है। जिन्हे वे प्राप्त करे के अधिकारी है। आवंटन की प्रक्रिया के दौरान ही राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में संशोधन करके उसमें एक धारा 15 ए.ए.ए. और बढ़ा दी, और राजस्थान के 1955 के पूर्व के आरजी काश्तकारों को भूमि निःशुल्क खातेदारी देने का प्रावधान करदिया इसलिए हमारे द्वारा हमारे पिता गोविन्द राम के नाम से पूर्व में चल रही आरजी काश्त वाके चक 1 एम.एस.डी. के मुरब्बा नं. 137/349 व मु.नं. 133/348 में से 133/348 जो गोविन्द राम के नाम से आवंटित थी सभी वारिसों ने अपने नाम से खातेदारी करवा ली ताकि गोविन्दराम के नाम की आरजी काश्त की समस्त भूमि उनके परिवार को मिल सके। आपसी सहमति से हम सभी द्वारा मुरब्बा नं. 137/349 वाके चक 1 एम.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर जो हमारी विरासतन भूमि थी के 20 बीघा भूमि का आवंटन बतौर बालिग पुत्र अप्रार्थी मोतीराम के नाम से आवंटित करवा लिया एवं शेष रकबा 4-10 बीघा छोटे भूखण्ड के रूप में किमतन अप्रार्थी मोतीराम के नाम से आवंटन करवा लिया। जिसके बालिग पुत्र होने के नाते प्रार्थी व अप्रार्थी मोतीराम व उसके भाई आशूराम, रामेश्वर लाल का बहिस्सा बराबर बनता है। जो उन्होने समान रूप से अपने पिता के नाम की पूर्व भूमि के साथ मिलाकर घरू बांट रखा है और बंटवारा अनुसार पक्षकारान का कब्जा है। समय के साथ अप्रार्थी मोतीराम के मन में लालच आ गया तथा वह भूमि अपने नाम से जो मुरब्बा नं. 137/349 वाके चक 1 एम.एस.डी. में

लगातार.....3

(R.A.S.)
अधिकारी
विजयनगर

Scanned by CamScanner

है को हड़प करना चाहता है तथा वह भूमि अकेले ही रखना चाहता है परन्तु उसमें प्रार्थी एवं उसके भाई आशूराम व रामेश्वर लाल का भी हिस्सा बनता है। इसी के चलते प्रार्थी के द्वारा जब भी अप्रार्थी मोतीराम से निवेदन किया जाता है कि सभी भाईयों द्वारा सहमति से रकबा जो मुरब्बा नं. 137/349 में है, जो बतौर बालिग पुत्र सभी भाईयों के द्वारा आपके नाम आंवटित करवाया गया है, आप प्रार्थी एवं उसके भाई आशूराम व रामेश्वर लाल के नाम से उनके हिस्सा करवा दो, तो वह यह कह कर कि भूमि आपको बांट कर दे रखी है, आपको जल्दी क्या है, भूमि आपको दे दूंगा। टाल मटोल करता रहा है इसी दौरान हमारी माता द्वारा अप्रार्थी मोतीराम के साथ मिलकर पिता की भूमि में खाता विभाजन हेतु वाद पेश किया जिसमें प्रार्थी द्वारा बालिग पुत्र वाली भूमि में से अपने भाग की मांग की गई तो पक्षकारो द्वारा आपस में राजीनामा हो गया तो प्रार्थीया अन्नी देवी व अप्रार्थी मोतीराम द्वारा अपना दावा खारिज करवा लिया, और यह तय पाया कि अभी फसले कमजोर हो रही है, पैसे नहीं है, पैसे आने पर सभी पक्षकार भूमि आपस में विभाजित कर लेगे तथा बालिग पुत्र वाली भूमि जो अप्रार्थी मोतीराम के नाम से है, को भी प्रार्थी व उसके भाईयों आशू राम, रामेश्वर लाल, के नाम से करवा देगे। तब तक सभी पक्षकार पूर्व अनुसार काश्त करते रहेगे। परन्तु प्रार्थी द्वारा नया कृषि वर्ष दिनांक 13/04/2014 आरम्भ होने पर अप्रार्थी मोतीराम से निवेदन किया कि बतौर बालिग पुत्र आवंटित भूमि प्रार्थी व उसके भाई आशूराम व रामेश्वर लाल का हिस्सा उनके नाम से करवा देवे तो उसने कहा कि दिनांक 01/06/2014 तक फसल विक्रय करके उसके नाम की भूमि में से प्रार्थी व उसके भाई आशूराम, रामेश्वर लाल का हिस्सा उनके नाम से करवा देगा। जिस पर प्रार्थी दिनांक 02/06/2014 को अप्रार्थी मोतीराम से सम्पर्क कर प्रार्थी का हिस्सा उसके नाम करवाने का कहा तो अप्रार्थी मोतीराम द्वारा उसके नाम से आवंटित बतौर बालिग पुत्र भूमि वाके चक 1 एम.एस.डी. का मुरब्बा नं. 137/349 के 24-10 बीघा भूमि में से देने से इन्कार कर दिया। स्व. श्री गोविन्दराम के नाम से वाके चक 1 एम.एस.डी. के मुरब्बा नं. 137/349 व 133/348 के 49-10 बीघा भूमि जो उनकी आरजी काश्त थी में से मुरब्बा नं. 133/348 की भूमि में प्रार्थी एवं उसके भाई आशूराम व रामेश्वरलाल एवं अप्रार्थी मोतीराम को उनका विरास्तन भाग प्राप्त हो चुका है। परन्तु मुरब्बा नं. 137/349 के 24-10 बीघा भूमि जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी व उसके भाई आशूराम, रामेश्वर लाल की विरास्तन सम्पति की श्रेणी में आती है तथा बतौर बालिग पुत्र गोविन्द राम के वारिसों द्वारा आपसी सहमति से अप्रार्थी मोतीराम के नाम से आवंटित करवाई है में बतौर पुत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थी व उसके भाई आशूराम व रामेश्वर लाल का बहिस्सा बराबर 1/4 भाग प्रत्येक बनता है जिसे अब अप्रार्थी मोतीराम देने से इन्कार कर रहा है इसलिए प्रार्थी को अपने अधिकारों की घोषणा के लिए न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। हम सभी भाईयों ने दानों मुरब्बों का रकबा घरू तौर पर बांट रखा है तथा मेरे हिस्सा में मु.नं. 133/348 के किला नं. 16 ता 25 कुल 10-00 बीघा आये हुए है जिस पर मेरा कब्जा काश्त है। प्रार्थी को घरू बंटवारा अनुसार वाके चक 1 एम.एस.डी. फसल को काट कर अपने कब्जे में ले लूंगा। अगर अप्रार्थी ऐसा करने में कामयाब हो

लगातार.........4

(R.A.S.)
अधिकारी
...जयनगर

Scanned by CamScanner

तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नं. 133/348 के किला नं. 16 ता 25 कुल 10-00 बीघा दे रखी है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। परन्तु अप्रार्थी मोतीराम ने प्रार्थी को दिनांक 06/03/2019 को धमकी दी है कि उक्त भूमि पर विजाई की जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं आंका जा सकता। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध व्यादेश निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी के पास उपरोक्त भूमि का कब्जा है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है।

अतः दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की दरख्वास्त स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी सादिर फरमाई जावे व इस कदर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थी चक 1 एम.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नं. 133/348 के किला नं. 16 ता 25 कुल 10-00 बीघा नहरी भूमि की बावत किसी को रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करे और प्रार्थी को शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त व भूमि फसल में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे। जनाब की अति कृपा होगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मोतीराम द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं मानता है कि पिता गोविन्दराम को पुख्ता आवंटन नियमानुसार हुआ है। उससे ज्यादा रकबा आवंटन होने का कोई नियम नहीं था इसके अलावा यहां यह दर्ज करना न्यायोचित होगा कि प.नं. 137/349 पर कब्जा काश्त अप्रार्थी का होने के कारण व कब्जा काश्त की रिपोर्ट अप्रार्थी के पक्ष में होनें के कारण पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपना कर रकबे का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में फरमाया गया था। जिसकी जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही थी। विवादित रकबा अप्रार्थी को आंवटित हुआ और मुझ अप्रार्थी को ही एकल एवं स्वतन्त्र रूप से कब्जा काश्त व हर प्रकार के हक हकूक मलकीयती अधिकार व उपयोग उपभोग करने के अधिकार हासिल हुए और मुझ अप्रार्थी ने ही अपनी मेहनत की कमाई व बचत से ही समस्त राज रकम अकेले ने जमा करवाने पर अप्रार्थी के नाम सनद खातेदारी जारी होकर राजस्व अभिलेखों में रकबा उसके नाम से अमलदरामद किया गया इस प्रकार उक्त भूमि अप्रार्थी की स्वयं अर्जित होने से उसे स्वेच्छा पूर्वक रहन बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरण के अधिकार है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला किसी भी प्रकार से नहीं बनता। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। अप्रार्थी के अलावा किसी अन्य को विवादित रकबा पर हक हकूक व अधिकार हासिल नहीं होते व ना ही है। मुझ अप्रार्थी को विवादित रकबा पर एकल व स्वतन्त्र रूप से हक हकूक व अधिकार हासिल होने से रकबा की हर प्रकार से व्यवस्था करने के हक व अधिकार हासिल है। प्रार्थी को उक्त विवादित रकबा में किसी भी प्रकार से कोई अधिकार व हक सृजित नहीं है। प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र व वाद पत्र मात्र मुझ अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से पेश किया गया है। जो काबिले निरस्ती के है। मुझ अप्रार्थी के अलावा किसी अन्य

लगातार.....5

(R.A.S.)
अधिकारी
विजयनगर

Scanned by CamScanner

को विवादित रकबा पर कोई हक हकूक व अधिकार हासिल नही होते। विवादित रकबा विरासतन रकबा नहीं था बल्कि मुझ अप्रार्थी के कब्जा काश्त में होने से आवंटन का सक्षम पात्र मानते हुए आवंटित फरमाया गया था न कि बालिग पुत्रों को आवंटित हुआ था। प्रार्थी के द्वारा मिथ्या व आधारहीन व कपोल कल्पित तथ्य दर्ज करवाये गये है। जिनका कोई विधिक आधार नहीं हैं। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला किसी भी प्रकार से नही बनता है। इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। मुझ अप्रार्थी के अलावा किसी अन्य को विवादित रकबा पर कोई हक हकूक व अधिकार हासिल नही होते। विवादित रकबा विरासतन रकबा नहीं था बल्कि मुझ अप्रार्थी के कब्जा काश्त में होने से आवंटन का सक्षम पात्र मानते हुए आवंटित फरमाया गया था न कि बालिग पुत्रों को आवंटित हुआ था। प्रार्थी के द्वारा मिथ्या व आधारहीन व कपोल कल्पित तथ्य दर्ज करवाये गये है। जिनका कोई विधिक आधार नहीं हैं। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला किसी भी प्रकार से नही बनता है। इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। प्रार्थी को विवादित रकबा नियमानुसार कब्जा काश्त की रिपोर्ट अनुसार आवंटित किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से ही थी। समस्त तथ्य प्रार्थना पत्र की तकमील पूरी करने के लिए मिथ्या आधारहीन कपोल कल्पित दर्ज करवाये गये है। जिनका कोई आधार नहीं हैं। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। बल्कि प्रार्थी मात्र मुझ अप्रार्थी को तंग परेशान के लिए पेश किया है जो विधि द्वारा वर्जित है। उल्लेखित रकबा के आंवटन के लिए मुझ अप्रार्थी को अकेले ही सक्षम पात्र मानते हुए आवंटन किया गया। और आवंटन के रोज से व पूर्व से निरन्तर आज तक मुझ अप्रार्थी काबिज है। उक्त रकबा की समस्त राज रकम मुझ अकेले अप्रार्थी के द्वारा जमा करवाई गई है। उल्लेखित रकबा के आंवटन के लिए मुझ अप्रार्थी को अकेले ही सक्षम पात्र मानते हुए आवंटन किया गया। और आवंटन के रोज से व पूर्व से निरन्तर आज तक मुझ अप्रार्थी काबिज है। उक्त रकबा की समस्त राज रकम मुझ अकेले अप्रार्थी के द्वारा जमा करवाई गई है। प्रार्थी के द्वारा मात्र मुझ अप्रार्थी को विरासतन भाग से वंचित करने के आश्य से समस्त कार्यवाही की गई है। प्रार्थी सद्भाविक नहीं है। प्रार्थी के द्वारा वास्तविक तथ्य छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वास्तविक तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया है। जबकि प्रार्थी मुझ अप्रार्थी को विरासतन सम्पति से वंचित करने के लिए व दबाव बनाने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्ती के है और यदि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति मुझ अप्रार्थी को होगी। विवादित भूमि मुझ अप्रार्थी को एकल रूप से आवंटित है इस कारण से भी प्रार्थी का किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता न ही किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना प्रार्थी को है ना ही प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की क्षति होने का कारण अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है। बल्कि उक्त तीनों महत्वपूर्ण,बिन्दू हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि मुझ अप्रार्थी के पिता गोविन्दराम की मृत्यु पश्चात् उनका खातेदारी रकबा वाके चक 1 एम.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर के प.नं. 133/348 मु.नं. 127 के किला नं. 1

लगातार.....6

ना (R.A.S.)
अधिकारी
जयनगर

Scanned by CamScanner

ता 25 के 6.325 है. अर्थात 25 बीघा कमाण्ड मय खाला बहिसा बराबर बराबर विरासतन मुझ अप्रार्थी के पिता गोविन्दराम के वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी को प्राप्त हुआ। इसके अलावा विवादित रकबा वाके चक 1 एम.एस.डी. के प.नं. 137/349 मु.नं. 152 के कुल 6.199 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला रकबा मुझ अप्रार्थी को आर्वटन करवाने का समक्षम पात्र मानते हुए आर्वटन फरमाया गया जिस पर पुराना कब्जा मुझ अप्रार्थी का अकेले का चला आने के कारण उसे आर्वटन करवाने का सक्षम पात्र मानते हुए आर्वटन फरमाया गया जिस पर पुराना कब्जा मुझ अप्रार्थी का अकेले का चला आने के कारण उसी आर्वटन का पात्र मानकर भूमि आर्वटन की गई। मुझ अप्रार्थी द्वारा ही समस्त किस्तें बेबाक कर खातेदारी प्राप्त की गई और उक्त रकबा पर मुझ अप्रार्थी को हकर प्रकार के हक हकूक वा अधिकार एकल व स्वतन्त्र रूप से हासिल हुए और एकल कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिस रकबा में मुझ अप्रार्थी के अलावा किसी अन्य को कोई हक हकूक वा अधिकार कभी हासिल नहीं हुए ना ही हो सकते है। भूमि बालिग पुत्रों में आर्वटन न होकर मुझ अप्रार्थी के भूमिहीन होने के कारण कमीपूर्ति में आर्वटित की गई थी। इसलिए उसमें मुझ अप्रार्थी के अलावा किसी अन्य का कोई हक हकूक वा अधिकार हासिल नहीं होते। प्रार्थी के मन में बेजा लालच आने से वह मुझ अप्रार्थी को उसके विरासतन भाग से वंचित करने के आशय से दबाव बनाने के लिए मिथ्या, आधारहीन, कपोल कल्पित आधारों पर प्रार्थना पत्र व वाद पत्र पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है। पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही वाद बअनवानी अन्नी देवी आदि बनाम गोवरधनराम आदि न्यायालय उपजिला कलेक्टर श्री विजयनगर में विचाराधीन है। विषयवस्तु, पक्षकारान, अनुतोष समान होने विधिक प्रक्रिया, प्रावधानों अनुसार यह वाद चलने योग्य नहीं है। इसके अलावा वादी ने पूर्व में विचाराधीन वाद व उसमें उसके द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के तथ्यों को छिपाते हुए यह प्रार्थना पत्र व वाद पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रार्थी सद्भावी नहीं है और क्लीनहैण्ड से न्यायालय में नहीं आया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती के है। प्रार्थी के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग चक 1 एम.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर के मु.नं. 133/348 के किला नं. 16 ता 25 कुल 10 बीघा भूमि बाबत किसी को रहन बैय व हस्तान्तरण नहीं करने की मांग की है जबकि उक्त मुरब्बा 133/348 वाद की विषयवस्तु नहीं है न ही उक्त मुरब्बा वाद पत्र के अन्दर विवादित है न ही उक्त मुरब्बा के सम्बन्ध में कोई अनुतोष वाद पत्र के जरिये मांगा गया है। इस कारण से भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना विधिक आधार के काबिल निरस्ती के है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। कृपा होगी।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया और वकील उभय पक्ष की बहस सुनी और निष्कर्ष रूप में यह पाया कि वादी द्वारा अपने कब्जा काश्त की भूमि चक 1 एम.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नं. 133/348 के किला नं. 16 ता 25 कुल 10-00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई

लगातार.....7

(R.A.S.)
अधिकारी
विजयनगर

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा चाही गई है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मुश्तरका भूमि के रूप में दर्ज है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी उक्त भूमि में 'बतौर सह खातेदार काश्तकार दर्ज है। यदि अप्रार्थी मुश्तरका दर्ज भूमि को आगे बेचान कर देता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी। इसलिए प्रार्थी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा। अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह चक 1 एम.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नं. 133/348 के किला नं. 16 ता 25 कुल 10-00 बीघा भूमि के ——— रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.08.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर